भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान/CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0)/TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466445
Website:http://www.fmttibudni.gov.in Email: fmti-mp@nic.in Extn: GSTIN:23AAAGC0890H1ZS
(AN ISO-9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE)

फा.सं/F.No. : 12-2/2000-01 इस्टेट दिनांक/Date :29.10.2021

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में एक वर्ष के लिए कैन्टीन ठेके पर देने हेतु इच्छुक ठेकेदारों से टैंडर आमंत्रित किए जाते है । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर तथा यदि आवश्यक हुआ तो अनुबंध अवधि दो वर्ष और बढ़ाई जा सकती है ।

क्र.	ठेके का नाम	टेण्डर जमा करने की तारीख	टेण्डर खोलने की तारीख	टेण्डर फार्म का मूल्य
2.	कैन्टीन का ठेका	दिनाँक– 09.11.2021 समय– 01:00 बजे अपरान्ह तक	दिनाँक– 10.11.2021 समय– 03:00 बजे अपरान्ह	रूपये 100/-

शर्तें–

1. टैंडर के साथ जमानत राशि रूपये 10,000/- जमा करना अनिवार्य है जो बाद में उन सभी को वापस कर ही दी जाएगी, जिनका टैंडर स्वीकार नहीं होगा ।
2. कैन्टीन का किराया रूपये 3500/- प्रतिमाह रहेगा एवं माह की 7 तारीख तक कैन्टीन किराया + बिजली शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जमानत राशि जब्त करते हुये ठेका स्वयमेव निरस्त हो जाएगा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा
3. निविदा शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
4. इस निविदा की सूचना संस्थान के बेबसाइट web site: www.fmttibudni.gov.in पर देखा जा सकता है ।
5. सफल ठेकेदार यदि ठेका प्रदान करने के तीन दिवस के भीतर कैन्टीन शुरू नहीं करता है तो जमानत राशि जब्त करते हुये ठेका स्वयमेव निरस्त हो जाएगा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा ।
6. निदेशक महोदय को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते है ।

कृते निदेशक

वितरण:–

1. संस्थान के सभी सूचना पट्ट कार्या./प्रशि./परी./कॉलोनी गेट एवं फार्म अनुभाग।
2. वरिष्ठ उपकरण अभियंता – कृपया इसे संस्थान की बेबसाइट पर अपलोड करें।

29.10.21

कृते निदेशक

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान/CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0)/TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466445
Website:http://www.fmttibudni.gov.in Email: fmti-mp@nic.in Extn: GSTIN:23AAAGC0890H1ZS
(AN ISO-9001:2015 CERTIFIED INSTITUTE)

फा.सं/F.No. : 12-2/2000-01 इस्टेट दिनांक/Date :29.10.2021

कैन्टीन निविदा के नियम एवं शर्ते

निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.) में कैन्टीन चलाने के लिये अलग–अलग मोहरबंद निविदायें निम्नलिखित शर्तो पर आमंत्रित करता है–

1. कैन्टीन की निविदा स्वीकृति होने के पश्चात् ठेका एक साल की अवधि के लिये दिया जायेगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने पर कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है।
2. कैन्टीन का लाइसेन्स एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा एवं हस्तांतरण मान्य नहीं होगा।
3. केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी के किसी भी स्टाफ सदस्य को कैन्टीन में साझेदारी या माल में किसी भी प्रकार की भागीदारी की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस शर्त का खण्डन करने पर जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी और बिना किसी सूचना के तत्काल लाइसेन्स रदद कर दिया जायेगा। निम्न हस्ताक्षरकर्ता को एक महीने की नोटिस पर या इस समय से पहले बिना कोई कारण बताये लाइसेन्स को रदद करने का अधिकार होगा।
4. कैन्टीन का लाईसेन्स चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन और दूसरी खाने पीने की चीजे निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित दरों पर बेचने के लिए प्रदान किया जाएगा। जो कि टैण्डर फार्म में दर्शायी गई मूल्यांक सूची के अनुसार बेचना होगा।
5. इस संस्थान के निदेशक द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दरो में सामान्य परिस्थितियों में कोई संशोधन/परिवर्तन करार की अवधि में नहीं किया जाएगा।
6. कोई मादक वस्तु किसी भी रूप में केन्टीन में ना तो रखी जाएगी, ना ही बेची जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को कैन्टीन के क्षेत्र में मादक वस्तु के सेवन की अनुमति दी जाएगी। यह जिम्मेदारी केन्टीन लाइसेन्स धारक की होगी कि केन्टीन क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लघन ना करे।
7. गुटखा, तम्बाकू धूम्रपान जैसी वस्तुऐ न रखी जाएगी एव न ही बेची जाएगी।
8. निर्धारित दरों की सूची पठनीय रूप में कैन्टीन के नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी।
9. बिजली पानी शुल्क + कैन्टीन किराया धारक को निम्न हस्ताक्षकर्ता द्वारा निशचित दरों के अनुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जमा कराना होगा। अन्यथा जमानत राशि जब्त करते हुये ठेका स्वयमेव निरस्त हो जाएगा एवं इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।
10. फर्नीचर संस्थान द्वारा प्रदान किया जायेगा। किसी फर्नीचर के खो जाने या खराब हो जाने पर उसकी कीमत उसे वर्तमान बाजार भाव की दर से वसूल की जाएगी।
11. प्रतिदिन की बिक्री के लिए सूचीगत वस्तु में से अधिकांश वस्तुए रखना अनिवार्य होगा। कैंटीन कार्य-दिवसों के अलावा शनिवार, रविवार तथा अवकाश के दिनों में भी खुली रखनी होगी।
12. पकाने के लिए स्वास्थ्यवर्धक वनस्पति तैल का ही उपयोग किया जाएगा। कैन्टीन में रखी गई चीजें ताजी और अच्छी किस्म की है, अथवा नहीं, इसका फैसला स्वयं निदेशक अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी समय–समय पर करेगें और उसका निर्णय कैन्टीन लाइसेन्स धारक को मान्य करना होगा। खराब ठहरायी गई वस्तुओं को जब्त किया जाएगा तथा उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
13. ठेकेदार को कैन्टीन में विक्रय कि सूची के अनुसार सभी सामान अनिवार्य रूप से रखना होगा अगर वर्णित समान उपलब्ध नहीं पाया गया तो पहली बार में रूपये 500/- जुर्माना एवं दूसरी बार में ठेका निरस्त करके जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।

14. कैन्टीन के फर्श, रेक इत्यादि केन्टीन लाइसेन्स धारक स्वयं के खर्च पर साफ–सुथरा रखेगा।
15. कैन्टीन लाइसेन्स धारक को रूपये 10,000/– जमानत राशि के रूप में केन्टीन के लिए जमा करने होगें। समयानुसार इस राशि को घटाया/बढाया जा सकता है। अगर संस्थान की वस्तुओं का किसी भी रूप में नुकसान होता हैं तो इसका निर्धारण जमानत राशि से वसूला जाएगा। कान्ट्रैक्ट समाप्त होने पर जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
16. केन्द्रीय लाइसेन्स धारक बेची जाने वाली वस्तुओ को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं वसूल सकता। स्वीकृत किए गए मूल्यों को केन्टीन परिसर में बोर्ड पर पेन्ट से साफ–सुथरे अक्षर में लिखकर प्रदर्शित करना होगा।
17. कैन्टीन में काम करने के लिए लगाये जाने वालें व्यक्तियों के नाम तथा पते की सूचना निम्न हस्ताक्षरकर्ता को देनी होगी। केन्टीन में लगाये गये कर्मचारियों को आधार कार्ड में दर्शाए गए मोबाइल नम्बर को कार्यालय में प्रस्तुत करना हैं।
18. यदि कैन्टीन की सूची में दिए गए सामान के अलावा अन्य चीजे बिक्री के लिए रखने की कैन्टीन लाइसेन्स धारक को आवश्यकता प्रतीत हो तो उक्त चीजे केन्टीन में रखने से पहले उनकी स्वीकृति उसे उसकी दरों सहित निदेशक से लेनी होगी।
19. खाने–पीने के सामान के भंडारण का लाइसेन्स संबंधित कार्यालय से ठेकेदार को लेना होगा।
20. कैन्टीन खोलने का समय 7.30 बजे प्रातः एवं बंद होने का समय 8.00 बजे सायंकाल होगा।
21. ठेकेदार को केन्द्र के तीनो स्कंधों में आवश्यकता पडने पर चाय एवं नास्ते की सप्लाई करनी होगी।
22. यदि केन्टीन समय से पहले या बाद में खुली पायी गई तो ऐसे मौके पर ठेकेदार पर नियमानुसर कार्यवाही की जाएगी।
23. 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चो से कैन्टीन में कार्य नहीं करवाया जाएगा।
24. केन्द्रीय, राज्य एवं उपक्रम के सरकारी कार्यालयों में केन्टीन चलाने का कम से कम 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।
25. प्लास्टिक आयटम जैसे ग्लास, कप, प्लेट इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगें तथा पेपर से निर्मित डिस्पोजल का प्रयोग करना होगा।
26. निदेशक महोदय को यह अधिकार होगा कि किसी भी समय निविदा को स्वीकार/अस्वीकार कर सकते हैं।
27. निदेशक महोदय द्वारा एक महीने की नोटिस पर या समय से पूर्व बिना कोई कारण बताये लाइसेन्स को रदद करने का अधिकार होगा।
28. अनुबंध की अवधि के दौरान यदि "सरकारी काम" या सरकारी सम्पत्ति को कोई नुकसान होता है तो संबंधित ठेकेदार सम्पत्ति को हुए नुकसान की बसूली के साथ साथ अन्य प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।

टैण्डर प्रस्तुत करने के कागज निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 28.10.2021 तक या इससे पूर्व किसी भी दिन, कार्यालय की छुटटी ना हो, दिन के 09:00 बजे से 5:30 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है।

इच्छुक व्यक्ति अपना टैण्डर मोहर बंद लिफाफे में बंद करे जो निम्न हस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 28.10.2021 को दोपहर 1:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। जिस लिफाफे में टेण्डर भेजा जाए उस पर टेण्डर भेजने वाले का नाम और टैण्डर खोलने की तारीख लिखी जानी चाहिए।

कृते निदेशक

वितरण:–

1. सभी सूचना पटट : कार्यालय/प्रशिक्षण/परीक्षण/मुख्य द्वार
1. वरिष्ठ उपकरण अभियंता – कृपया इसे संस्थान की बेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रति,

निदेशक,
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.) 466 445

विषयः—केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी की कैण्टीन सुविधा के लिए निविदा ।

महोदय,

कृपया केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, बुदनी की कैण्टीन के लिए अपनी निविदा सूचना (टेण्डर नोटिस) दिनांक 29.10.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मैं आपके संस्थान में विहित नियमों एवं शर्तो के अधीन कैण्टीन चलाने का इच्छुक हूँ।

1. कैण्टीन में विकय के लिए वस्तुओं की दरें निम्नानुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ:—

कम	वस्तु	मात्रा	शासकीय दर
1.	स्टैण्डर्ड चाय	प्रति कप या 150 मि.ली. (6 औंस)	
2.	कॉफी	प्रति कप या 150 मि.ली. (6 औंस)	
3.	बिस्कुट मीठे स्टेण्डर्ड (कम्पनी के)	प्रति जोडे एवं प्रति पैकेट	
4.	बिस्कुट नमकीन स्टेण्डर्ड (तदैव)	प्रति जोडे एवं प्रति पैकेट	
5.	पकोडा	प्रति 50 ग्राम	
6.	आलू बोण्डा	प्रति नग (वजन 50 ग्राम)	
7.	कचौडी	प्रति नग (वजन 50 ग्राम)	
8.	समोसा	प्रति नग (वजन 50 ग्राम)	

-घोषणा-

मैं....................... शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि मेन कैन्टीन का ठेका विहित नियमों व शर्तों के अधीन चलाऊँगा तथा केवल उन्हीं चीजों का विक्रय करूंगा जो इस ठेके में वर्णित है। मैं यह भली भांति समझता हूँ कि नियमों कि अवहेलना पर मेरा ठेका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

धन्यवाद

संलग्नः—

1. कैण्टीन चलाने का अनुभव प्रमाण पत्र,
2. आधार कार्ड,
3. राशन कार्ड,
4. मोबाइल नम्बर,

स्थानः— भवदीय,

दिनांकः—

नाम व पताः—